**व्याख्यान IX**

**धर्म की स्वतंत्रता**

नमस्कार,

नालसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है।

पिछले व्याख्यान में हमने अनुच्छेद 21 और 22 के बारे में बात की थी जो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकार के बारे में था। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता। इसमें हम अनुच्छेद 25 से 28 तक की बात करेंगे। हम अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता (Uniform Civil code) का भी संदर्भ लेंगे और देखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

**पहला प्रश्‍न है कि धर्म का महत्व क्या है?**

प्राचीन काल से ही धर्म मानव समाज के अस्तित्व के केंद्र में रहा है। भारतीय समाज 'मुख्य रूप से धार्मिक दृष्टिकोण की प्रवृत्ति' प्रकट करता रहा है’ और यही कारण है कि सर हार्कोर्ट बटलर ने कहा था कि भारतीय अनिवार्य रूप से धार्मिक हैं जैसेकि यूरोपीय अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। इसलिए धर्म अभी भी भारतीय जीवन का अल्फा और ओमेगा है।

**धर्म की स्वतंत्रता के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?**

हमें धर्म की यह आजादी कहाँ से मिली है। सर्व धर्म सम भाव की हिंदू अवधारणा, सभी धर्मों का विचार सत्य है, सहिष्णुता और विशिष्ट धार्मिक पहचान के समायोजन को सही ठहराता है। सभी धर्मों की समानता या समानता की अवधारणा सर्व धर्म समभाव के इस सिद्धांत से प्रेरित थी। तदनुसार, भारत में किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता नहीं दी जाती है। इसलिए, भारतीय संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य के पास अपना विवेक पता लगाने और सत्य का अनुसरण करने के लिए अंतर्निहित गरिमा (inherent dignity) है।

**धर्म की स्वतंत्रता से क्या प्राप्त होता है?**

धर्म की स्वतंत्रता के क्या लाभ हैं? यदि हम धर्म की स्वतंत्रता देते हैं, तो हम एकजुटता प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकता के लिए प्रयुक्त शब्द बंधुत्व (fraternity) इस्तेमाल किया गया है। हमने प्रस्तावना के अपने व्याख्यान में पहले ही कहा है कि हम भाईचारे के बारे में पर्याप्त बात नहीं करते हैं- भाईचारे (Brotherhood and Sisterhood) की अवधारणा का विचार एक बहुत आदर्श विचार है। गांधीजी को विश्वास था कि वास्तविक धर्म, जो उनके लिए एक व्यक्तिगत मामला था, ने अपने सच्चे, पूर्ण और सदाचारी रूप में लोगों के बीच एकजुटता के पुल के समान होता है। धर्म लोगों को एकजुट करता है लोगों को बांटता नहीं। और यह हमारे राष्ट्रपिता की ओर से एक महत्वपूर्ण अवलोकन था क्योंकि हमारा देश विभाजन से तबाह हो गया था। संविधान के हमारे निर्माताओं को उम्मीद थी कि विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता भाईचारे को बढ़ावा देगी, उम्मीद है कि यह शांति और सद्भाव के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगी।

**क्या धर्म की स्वतंत्रता वास्तव में देश के लिए फायदेमंद है?**

हाँ, क्योंकि धार्मिक अभ्यास व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय की भलाई को बढ़ावा देता है। यह पता चला है कि धर्म के अभ्यास का व्यक्तिगत कल्याण की खुशी और समग्र भावना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। खुश लोग अधिक उत्पादक (Productive) होते हैं और कानून का पालन (Law abiding) करने वाले होते हैं। वे अच्छे नागरिक होते हैं। यदि हम धर्मों का पालन करें और अपने अंदर आध्यात्मिकता (Spirituality) का विकास करें, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे और हम सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। ईश्वर के भय के कारण धार्मिक लोगों के अधिक ईमानदार होने की संभावना है। बेशक, कुछ धार्मिक कट्टरपंथी भ्रष्ट भी होते हैं और हर तरह की अनैतिक बातों में लिप्त रहते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत धर्म शब्द का अर्थ नीति-परायणता (Righteousness) है।

**धर्म क्या है?** हमारे लिए धर्म सही काम करना है। मानवता की सेवा करना है।

धर्म की कोई सटीक परिभाषा संभव नहीं है। प्रो. व्हाइटहेड ने धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया कि व्यक्ति जो अपने अकेलेपन में करता है वह धर्म है। धर्म आस्था का विषय है लेकिन धर्म के गठन के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी नहीं है। आप में से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि धर्म दैवीय (divine) के बारे में है, सभी देवी-देवताओं के बारे में है। डॉ. एस. राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति थे, ने कहा कि धर्म नैतिक मूल्‍य की संहिता है इसका अर्थ मान्यताएं (Rituals), अनुष्ठान (Observance), समारोह (Ceremonious) और पूजा के तरीके भी हैं जो इसकी बाहरी अभिव्यक्तियाँ हैं।

धर्म की पहचान भावनाओं(Feelings), मनोभावों(Emotions), विचारों(Sentiments), सहज प्रवृति(instinct), पंथ(Cult), धारणा(Perception), अंतरात्मा(Conscience) और आस्था(Belief) या विश्वास(faith) से की जाती है। धर्म अच्छे हैं लेकिन अत्यधिक धार्मिकता (Excessive religiousity) अच्छी नहीं है। प्रत्येक धर्म का वास्तविक संदेश एक दूसरे से प्रेम करना है।

**राज्य के साथ धर्म का क्या संबंध हो?**

राज्य का धर्म के साथ कैसा संबंध होगा, यह निर्धारित करेगा कि हम एक धर्म तंत्र हैं या हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता, पश्चिम के विपरीत, चर्च और राज्य के बीच अलगाव की दीवार बनाने के उद्देश्य से नहीं की गई। हम भारतीय दो-तलवार के सिद्धांत (Two-sword theory) में विश्वास नहीं करते हैं कि धर्म और राज्य एक साथ नहीं रह सकते। यूरोपीय अनुभव को धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ बिंदु के रूप में लेते हुए, यह तर्क दिया जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए एक विदेशी अवधारणा है क्योंकि हमारे पास ऐसा ऐतिहासिक अनुभव नहीं था जबकि यूरोप में धर्म और राज्य आमने-सामने टकरा रहे थे। इसलिए, यदि आप हमारे प्राचीन हिंदू समाज को देखें, तो हम काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान शामिल किया गया था। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमने अपनी प्रस्तावना में ईश्वर (God) शब्द को भी शामिल नहीं किया था। प्रस्तावना पर हमारी चर्चा में, मैंने आपसे कई संविधानों के बारे में बात की - दुनिया के 60 से अधिक संविधान हैं जो भगवान के नाम से शुरू होते हैं। भारत में हमने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और हमने कहा कि हम भगवान के नाम पर अपना संविधान शुरू नहीं करेंगे।

**आइए हम धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझने की कोशिश करें**

भारत के विभाजन के बाद की परिस्थितियों के कारण अंतर-समूह(inter-group) व्यवहार को विनियमित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को शायद एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं में डर था कि पाकिस्तान बनाया गया, अब कुछ अल्पसंख्यक भारत में रह गए हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। अब इन लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत अब हिंदू बहुसंख्यक राज्य बन गया है। और इसलिए उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि उनकी धर्म की स्वतंत्रता, उनके पूजा करने का अधिकार, उनके सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्‍य की तरह पेश किया गया।

इस प्रकार सेकुलर शब्द के बिना भी, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य थे और इसीलिए 1973 में केशवानंद भारती मामले में, जब प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अभी तक नहीं था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल संरचना है। इसलिए हम 1976 के बाद सेक्युलर नहीं बने। भारत वर्ष पहले दिन से ही एक सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष राष्‍ट्र था।

**हमने किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता सृजित की है?**

भारतीय राज्य धर्म तटस्थ है। राज्‍य सभी धर्मों का सम्मान करता है; राज्‍य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है। इसका अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन लोग जिस भी धर्म का पालन करना चाहते हैं, उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**भारतीय संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता क्या है?**

अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 सभी के धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। और भारतीय संविधान के निर्माताओं की दरियादिली को देखिए, अनुच्छेद 19 के अधिकार जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं, अब जब धर्म की स्वतंत्रता की बात आती है, तो हमने विदेशियों को भी यह अधिकार दे दिया।

**अंतरात्मा (Conscience) की स्वतंत्रता के तीन महत्वपूर्ण अधिकार हैं। ये महत्वपूर्ण अधिकार क्या हैं?**

• किसी भी धर्म को मानने का अधिकार।

• अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार।

• अपने धर्म का पालन करने का अधिकार।

**धर्म की स्वतंत्रता पर राज्य क्या प्रतिबंध लगा सकता है?**

मैं समझता हूँ कि अनुच्छेद 25 के शुरूआती शब्द ही हमें इस बात का संकेत देते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता को अत्यंत सीमित संकीर्ण क्षेत्र में कार्य करना है। अन्य मौलिक अधिकारों के विपरीत, धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था (Public order), स्वास्थ्य (Health), नैतिकता (Morality) और भाग तीन के अन्य प्रावधानों के अधीन है, जिसका अर्थ है कि सभी मौलिक अधिकार धर्म की स्‍वतंत्रता से बड़े माने गए हैं एवं प्रबल माने गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को अन्य सभी मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं किया गया है।

क्योंकि धर्म पुराने हैं, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो आधुनिक और प्रगतिशील (Modern and Progressive) हो, जो पूछताछ और वैज्ञानिक स्वभाव में विश्वास (Spirit of Enquiry or Scientific temper) करता हो। इसलिए, यदि समानता के अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष होता है तो समानता का अधिकार प्रबल होगा। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के बीच कोई संघर्ष (Conflict or Contradiction) है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रबल होगी।

धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में राज्य की शक्तियों को आगे बढ़ते हुए, राज्य कानून के माध्यम से किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हो सकती है।

**राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है या हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोल सकता है। यह प्रावधान क्यों?**

क्योंकि अछूतों (Untouchables) को, ऐतिहासिक रूप से भारत में, हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तदनुसार, कई मंदिर प्रवेश कानूनों को अधिनियमित किया जाना था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करना पड़ा। लेकिन अनुच्छेद 25 को देखें तो केवल सार्वजनिक मंदिर ही इसमें आते हैं; निजी मंदिर अनुच्छेद 25 के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हुए बड़े विवाद से तो आप वाकिफ ही होंगे. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को, निश्चित उम्र की महिलाओं को वहां जाने की अनुमति नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। क्यों कि अदालतों ने कहा कि भगवान अयप्पा के भक्त हिंदू धर्म का अलग संप्रदाय नहीं हैं।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अगर आप अनुच्छेद 25 को देखें तो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए हिंदू मंदिरों में प्रवेश की गारंटी दी गई है। महिलाएं, हिंदुओं का एक वर्ग है और इसलिए उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। कोई फैसले के पक्ष में है तो कई फैसले का विरोध करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद सबरीमाला फैसले की समीक्षा के लिए तैयार हो गया था। और मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है जो कोविड - 19 के कारण सुनवाई नहीं कर सका।

**चूंकि हिंदू शब्द का संदर्भ दिया गया है, अनुच्छेद 25 में हमें समझना चाहिए कि हिंदू कौन है?**

अनुच्छेद 25 हिंदुओं के अलावा किसी अन्य धार्मिक समुदाय की बात नहीं करता है। यह हिंदुओं को परिभाषित करता है क्योंकि हिंदू मंदिर हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोले जा रहे हैं इसलिए, हिंदू कौन है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्‍द की परिभाषा हिंदू धर्म की मान्यताओं और सिद्धांतों के संदर्भ में नहीं है। यह एक समावेशी परिभाषा है जो हमें बताती है कि शब्‍द हिंदुओं में कौन शामिल है। यह हमें नहीं बताती कि हिंदू धर्म के मूलभूत विश्वास (Fundamental Values) क्‍या हैं। अनुच्‍छेद हमें सिर्फ इतना बताता है कि सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू शब्द के भीतर शामिल हैं। हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu marriage Act), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu succession Act) में हिंदू शब्द की परिभाषा में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो धर्म के किसी भी रूप या विकास में हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं। और भारत में कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है या जो यहूदी नहीं है उसे हिंदू माना जाता है।

**यह मुझे इस प्रश्न पर लाता है- क्या धर्म की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार के अधिकार में दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित (Right to conversion) करना शामिल है।**

इसका सीधा और सरल उत्तर है ‘नहीं’। संविधान सभा के ईसाई सदस्यों की मांग पर अनुच्छेद 25 में शब्द 'प्रचार' (Propagate) वास्तव में डाला गया था। ईसाई सदस्य 'प्रचार' शब्द को शामिल करने पर बहुत जोर दे रहे थे क्योंकि यह ईसाई धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को देखें, तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 18 में विशेष रूप से इस शब्द का उल्लेख है। यह कहता है कि सभी को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में अपने धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता शामिल है। इसी तरह, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय वचन-पत्र (International Covenants on civil & Political Rights) का अनुच्छेद 18 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस अधिकार में अपनी पसंद का धर्म या विश्वास रखने या अपनाने की स्वतंत्रता शामिल होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले मे कहा है कि आपको धर्म का प्रचार करने का अधिकार है लेकिन धर्मान्तरण करने का अधिकार नहीं है।

**क्या धर्म की स्वतंत्रता के तहत लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति है?**

उत्तर है नहीं। कोई भी धर्म यह निर्धारित नहीं करता है कि प्रार्थना दूसरों की शांति भंग करने के लिए की जानी चाहिए; न ही कोई धर्म यह उपदेश देता है कि ध्वनि-प्रवर्धकों (Voice Amplifiers) या ढोल की थाप का इस्‍तेमाल हों। धर्म पुराने हैं (Loud speaker) की तकनीक नई है। चर्च ऑफ गोडिन इंडिया बनाम केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (2000) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरों को परेशान न होने का अधिकार है। 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम अज़ान को एक आवश्यक इस्लामी प्रैक्टिस नहीं माना।

**धार्मिक संप्रदायों के अधिकार क्या हैं?**

यदि अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने के अधिकार के बारे में बात कर रहा था, तो अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या उसके किसी भी वर्ग के धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। दुनिया के लगभग सभी धर्मों में विभिन्न संप्रदाय और वर्ग हैं जो प्राथमिक धर्म से भिन्न हैं। तो, हिंदू धर्म में वैष्णव, शक्‍तिज्‍म, शिवाईट्स जैसे कई संप्रदाय हैं। इस्लाम में सुन्नियों और शियाओं जैसे संप्रदाय हैं। ईसाई धर्म में भी रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडक्स, प्रोटेस्टेंट, यहोवा साक्षी जैसे संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हिनियान जैसे संप्रदाय हैं।

**अनुच्छेद 26 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म की स्‍वतंत्रता दी गई हैं। अनुच्‍छेद 25 और 26 में प्रमुख अंतर क्या है?**

जब हम व्यक्तियों के धर्म के अधिकार की बात कर रहे थे, तो हमने इसे अन्य सभी मौलिक अधिकारों के अधीन कर दिया था। जब किसी धार्मिक समूह, धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के अधिकार की बात करते है तो वह अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं किया है।

अनुच्छेद 26 निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है-

• प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार होगा।

• धर्म के मामलों में अपना स्‍वयं प्रबंधन करना- प्रत्येक धार्मिक समूह को धर्म के मामले में प्रबंधन करने का अधिकार होगा।

• चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना।

• ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना।

यह अधिकार है जो अनुच्‍छेद 26 देता है।

कुछ राज्यों ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ अक्षय निधि (Endowment) पर कानून बनाए हैं। तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था जिसके बाद कर्नाटक और अन्य राज्यों ने भी ऐसे कानून बनाए। अब इन कानूनों में मंदिरों की कुछ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए मंदिर बोर्डों की स्थापना की है। एक तर्क दिया जाता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के विरूद्ध हैं। इन कानूनों की वैधता को न्‍यायालयों ने बरकरार रखा क्योंकि अदालत ने कहा कि ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार अनुच्‍छेद 26 में दिया गया है।

आपको चल और अचल संपत्ति के मालिक होने और इसे हासिल करने का अधिकार है। लेकिन आप इसे कानून के अनुसार प्रशासित करेंगे। और अगर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ अक्षय-निधि (Endowment) अधिनियम नामक कानून है, तो उस कानून के तहत आपकी संपत्ति का प्रशासन उस कानून के अनुसार किया जाना है। अदालतों ने यह देखते हुए भी ऐसा कहा है कि धार्मिक संपत्तियों का कुप्रबंधन (Mal-administration) किया जा रहा है जबकि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को संपत्तियों के कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है।

यह याद रखना चाहिए कि जब भी कुशासन होता है, राज्य प्रबंधन (Administration) को अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन अनुच्छेद 31क स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य द्वारा इस तरह का अधिग्रहण सीमित अवधि के लिए ही होना चाहिए। जब राज्‍य प्रबंधन अपने हाथों में ले किसी मंदिर का तो वह एक सीमित समय के लिए होगा, Permanent नहीं हो सकता।

**जब हिंदू मंदिर की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है,** **तो क्या वह राज्य में निहित होती है?** नहीं, संपत्ति देवता (भगवान) में निहित रहती है और जो बोर्ड गठित होता है, उसके सदस्य के रूप में कोई गैर-हिंदू नहीं हो सकते है। और उन संपत्तियों का उपयोग केवल हिंदू मंदिरों के लिए किया जा सकता है। राज्य इसी तरह वक्फ अधिनियमों के माध्यम से मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है। और राज्य के पास वक्फ निकायों या वक्फ बोर्डों को भंग करने की भी शक्ति है।

**अनुच्छेद 26 में अन्य महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति यह है कि धार्मिक संप्रदायों या किसी भी वर्ग को धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। और इसलिए धार्मिक लोग कह सकते हैं कि अनुच्छेद 26 धर्म के मामलों में हमें यह अधिकार देता है- हम जिस तरह से चाहेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे।**

लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं। आपके धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार को भी कम किया जाना चाहिए क्योंकि आधुनिक, उदार, प्रगतिशील भारत में हर चीज या कुछ भी जो आपका धर्म आपसे करने के लिए कह सकता है, की अनुमति नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्यता सिद्धांत (Essentiality Doctrine) नाम के एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया। जिसके तहत न्यायालय निर्धारित करता है कि आवश्यक धार्मिक प्रथाएं क्या हैं। और प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अनुच्छेद 26 के तहत केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का अभ्यास करने और उनका पालन करने का अधिकार है। जब मंदिर प्रवेश कानून पारित किए गए तो हिंदू समाज के कुछ वर्गों के प्रवेश को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पृश्यता (Untouchability) एक आवश्यक हिंदू प्रथा नहीं है। इसी तरह, अदालतों ने कहा है कि तीन तलाक एक अनिवार्य इस्लामी प्रथा नहीं है क्योंकि कुरान में इसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, तीन तालक को संरक्षित नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार में तीन घोषणाएं (3 Divorces in one go) एक आवश्यक इस्लामी परंपरा (Practice) नहीं हैं। पवित्र कुरान में तीन तलाक का जिक्र नहीं है। इसी तरह, जब कोई मुस्लिम पुलिस अधिकारी दाढ़ी रखना चाहता था, तो अदालत ने कहा कि दाढ़ी रखना एक आवश्यक इस्लामी प्रथा नहीं है। अब केंद्र सरकार ने एक बार में तीन तलाक को तीन साल के कारावास के साथ दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है।

**अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक कर (Religious Tax) का निषेध**

चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, इसलिए कोई धार्मिक कर **(Religious Tax)**  नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। हज सब्सिडी के मुद्दे पर सालों से एक बहस होती रही है। प्रफुल गोराड़िया बनाम भारत संघ (2011) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हज सब्सिडी की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जो एयर इंडिया को दी जाती थी क्योंकि एयर इंडिया को हज तीर्थयात्रियों के परिवहन के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस सब्सिडी के लिए आयकर की छोटी राशि का उपयोग किया जाता है, यह अनुच्छेद 27 के तहत असंवैधानिक(Unconstitutional) नहीं है। 2012 में, न्यायमूर्ति आफताब आलम की अगुवाई वाली एक अन्य पीठ ने कहा कि हालांकि हज सब्सिडी संवैधानिक है, लेकिन इसे दस साल के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।

**क्या शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना एक धार्मिक निर्देश हो सकते हैं?**

इसका उत्तर हां है और इसका उत्तर न भी है। क्योंकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की बात कर रहे हैं। क्या वे पूरी तरह से वित्त पोषित (Fully funded) संस्थान है या यह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या यह किसी ट्रस्ट के तहत बनाया या स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान है? अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित होता है, में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए, यदि यह एक सरकारी संस्थान है जोकि 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है तो वहां कोई भी धार्मिक निर्देश (Religious instruction) प्रदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में धार्मिक निर्देश प्रदान किए जा सकते हैं यदि ऐसी संस्था किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई हो या किसी ऐसे धर्मार्थ के तहत जिसमें धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता हो। मान लीजिए कि किसी ट्रस्ट ने मूल रूप से कोई संस्था स्थापित की है तो ट्रस्ट की आवश्यकता है कि हर सुबह धार्मिक प्रार्थना होगी। अब जब राज्य उस संस्था को बनाए हुए है, वहां धार्मिक शिक्षा जारी रहेगी। फिर तीसरी संस्थाएँ जो सहायता प्राप्त कर रही हैं या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, बेशक उन्हें सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में धार्मिक शिक्षा बिना माता-पिता की सहमति के नहीं दे सकते हैं किसी पर भी यह शर्त नहीं लगाई जा सकती कि छात्र धार्मिक पूजा में उपस्थिति रहें। हम में से बहुत से लोग जो ईसाई संस्थानों में गए थे, वे जानते हैं कि वे सुबह प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसी प्रार्थना करने के लिए वे माता-पिता की सहमति लिया जाना जरूरी है।

**आइए अब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं:-**

अंत में मैं समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) और व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। मुगलों ने शास्त्रीय हिंदू कानून में हस्तक्षेप नहीं किया और हिंदुओं को उनके धार्मिक कानूनों द्वारा उनके धार्मिक दरबारों में शासित होने दिया। अंग्रेजों ने इस नीति को जारी रखा और धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन यह महसूस करते हुए कि व्यक्तिगत कानून के प्रावधान मनमाने (Arbitrary) थे- अमानवीय (Inhuman) थे, अंग्रेजों ने सुधारों की शुरुआत की और इस्लामी आपराधिक कानून (Islamic Criminal Laws) को **भारतीय दण्‍ड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता** **और भारतीय साक्ष्य अधिनियम** (जो की अब **भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम** से बदला जा चुका है) के रूप में आधुनिक और मानवीय आपराधिक सुधारों के साथ बदल दिया गया।

हिंदू कानून सुधार समिति (Hindu Law Reforms Committee) की स्थापना 1941 में हुई थी और आजादी के बाद हमने हिंदू कोड बिल बनाया जिसने हिंदू कानून में सुधार किया। अनुच्छेद 44 जो एक निर्देशक सिद्धांत है, राज्यों को एक समान नागरिक संहिता का प्रयास करने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से, अभी तक समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है और हिंदू कानून सुधार समिति जैसी कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है। तीन तालक फैसले में, सीजेआई जेएस केहर ने कहा कि व्यक्तिगत कानून का पालन करने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।

सबसे बड़ा सवाल अनुच्छेद 13 के अर्थ में क्‍या पर्सनल लॉ 'कानून' है क्‍या Personal Laws, Law है? क्योंकि अगर यह 'कानून' है और किसी मौलिक अधिकार के विपरीत है, तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। सबरीमाला में और साथ ही शायरा बानो के तीन तलाक के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को भविष्य के फैसलों के लिए खुला छोड़ दिया।

**आज हमने क्या सीखा?**

विदेशियों सहित सभी को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह एक अत्यधिक प्रतिबंधित स्वतंत्रता (Restricted Right) है और इसे राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया जा सकता है। इस स्वतंत्रता में धर्मांतरण (Conversion) का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए, जबरन धर्मांतरण को अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है। भारत में कोई धार्मिक कर नहीं हो सकता। और माता-पिता की सहमति के बिना पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान या राज्य सहायता प्राप्त करने वाले या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं की जा सकती है।

अगले व्याख्यान में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे जिसके कारण बहुत सारे मामले सर्वोच्‍च न्‍यायालय (Supreme Court) में आए - अल्पसंख्यकों के अधिकार।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।